



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276087
CG-DL-E-09092026-276087

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड3—उप-खण्ड(i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 716]

नई दिल्ली, सोमवार, सितंबर 7, 2026/ भाद्र 16, 1948

No. 716]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2026/ BHADRA 16, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितंबर, 2026

सा.का.नि. 784(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल चिकित्सा सेवा भर्ती नियम, 1999 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें, ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "प्रशासनिक पद" से समय-समय पर संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा, यथाविनिर्दिष्ट जैसा अनुसूची-V में यथाविनिर्दिष्ट कोई भी पद अभिप्रेत है;

(ख) "संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी" से रेल मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "नैदानिक पद" से अनुसूची-V में यथाविनिर्दिष्ट प्रशासनिक पदों के अलावा पद अभिप्रेत है।

- (घ) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
- (ङ) "विभागीय पुष्टि समिति" से किसी श्रेणी में अधिकारियों की पुष्टि पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;
- (च) "विभागीय प्रोन्नति समिति" किसी श्रेणी में अधिकारियों की प्रोन्नति पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;
- (छ) "विभागीय छानबीन समिति" से अकृत्यिक उन्नयन प्रदान करने पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;
- (ज) "झूटी पद" से इन नियमों की अनुसूची-1 में वर्णित किसी श्रेणी का कोई भी पद अभिप्रेत है;
- (झ) "परीक्षा" से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा अभिप्रेत है।
- (ञ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (ट) "श्रेणी" से इन नियमों की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट झूटी पदों की श्रेणियां अभिप्रेत है।
- (ठ) किसी भी श्रेणी संबंधी "नियमित सेवा" से नियमों के अधीन उस श्रेणी में चयन और नियमित नियुक्ति के पश्चात् की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और इसमें कोई भी अवधि या अवधियां शामिल है
- (i) जो इन सेवा के शुरुआती गठन के समय नियुक्त किए गए व्यक्तियों की दशा में वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु इसे ध्यान में रखा गया;
- (ii) जिसके दौरान किसी अधिकारी ने उस श्रेणी में झूटी पद धारण किया होता किंतु उसके छुट्टी पर होने के कारण अथवा अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं था।
- (ड) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत है।
- (ढ) "सेवा" से नियम 3 के अंतर्गत गठित भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा अभिप्रेत है;

3. सेवा का गठन: (1) सेवा में अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पद शामिल होंगे।

(2) सेवा में सभी झूटी पद, जैसा कि अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है, को समूह 'क' के पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

4. श्रेणियां, पदसंख्या और इसका पुनर्विलोकन: (1) वेतन मैट्रिक्स में विभिन्न श्रेणियों, पदनाम, संख्या और स्तर के शामिल झूटी पद वे होंगे जो अनुसूची-1 में यथा-विनिर्दिष्ट हैं।

(2) उप-नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा -

(क) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट झूटी पदों अथवा श्रेणियों, पदनामों में परिवर्धन, परिवर्तन, प्रतिस्थापन या आशोधन और वेतन मैट्रिक्स में स्तरों की संख्या को परिवर्तित या आशोधित कर सकती है;

(ख) आयोग के परामर्श से, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट सेवा में किसी भी झूटी पद को शामिल या सेवा से किसी भी झूटी पद को निकाल सकती है;

(ग) आयोग के परामर्श से, उचित श्रेणी में उप-खंड (ख) के अधीन सेवा में शामिल झूटी पद पर अधिकारी को नियुक्त कर सकती है।

5. सेवा के सदस्य: इन नियमों के प्रारंभ से पहले सेवा में नियुक्त सभी अधिकारी और इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा के कनिष्ठ समय मान, वरिष्ठ समय-मान, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, अकृत्यिक प्रवरण श्रेणी, ज्येष्ठ

प्रशासनिक श्रेणी और उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में नियमित आधार पर झूटी पदों पर कार्यरत अधिकारी संबंधित श्रेणियों में सेवा के सदस्य होंगे।

6. सेवा का भावी भरणपोषण: (1) अनुसूची-1 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में रिक्त पदों को इन नियमों के अधीन उपबंधित रीति से भरा जाएगा।

(2) इस सेवा में संबंधित श्रेणी और विशेषज्ञताओं में पदों पर नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए भर्ती की विधि, प्रोन्नति के लिए चयन क्षेत्र सहित तत्काल धारित निम्नतर श्रेणी या निम्नतर श्रेणियों में न्यूनतम अर्हक सेवा वही होगी जैसा अनुसूची-11 में यथाविनिर्दिष्ट है।

(3) कनिष्ठ कालमान श्रेणी में रिक्त झूटी पदों का सौ प्रतिशत अनुसूची-11 यथाविनिर्दिष्ट आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

(4) ज्येष्ठ कालमान श्रेणी में झूटी पदों का तीस प्रतिशत अनुसूची-11 यथाविनिर्दिष्ट आयोग के परामर्श से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(5) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में झूटी पद का दस प्रतिशत अनुसूची-11 यथाविनिर्दिष्ट आयोग के परामर्श से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

(6) ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी तक के झूटी पदों की विभागीय प्रोन्नतियां, रिक्तियों पर ध्यान दिए बिना अनुसूची-11 में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएंगी तथा विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर सेवा के अधिकारियों में से चयन के आधार पर की जाएंगी, जैसा अनुसूची-111 में विनिर्दिष्ट है।

(7) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में विभिन्न झूटी पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयु सीमा अनुसूची-IV में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी।

टिप्पण- कनिष्ठ कालमान, ज्येष्ठ कालमान, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, प्रवरण श्रेणी और ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या को अनुसूची-1 के टिप्पण-2 में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संयुक्त संख्या के भीतर परस्पर विनिमय रूप से संचालित किया जा सकेगा।

7. ज्येष्ठता: (1) इन नियमों के लागू होने की तारीख से किसी श्रेणी पर नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता उनकी संबंधित श्रेणी में उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता द्वारा शासित होगी जो इन नियमों के लागू होने की तारीख से पहले निर्धारित की गई थी;

परंतु, यदि किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ होने पर विशेष रूप से निर्धारित नहीं की गई हो, तो इसे सरकार के अंतर्गत ऐसी समान सेवा के सदस्यों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(2) उपरोक्त उप नियम (1) के अंतर्गत न आने वाले मामलों के लिए ज्येष्ठता का निर्धारण सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

8. परिवीक्षा और स्थायीकरण: (1) कनिष्ठ कालमान श्रेणी में सीधी भर्ती के माध्यम से सेवा के लिए नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा और सीधी भर्ती के माध्यम से ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा;

परंतु संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।

परंतु इसके बाद किसी भी परिवीक्षा अवधि के विस्तार का निर्णय परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि के समाप्त होने के तुरंत बाद और सामान्यतः पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के आठ सप्ताह के भीतर लिया जाए और उक्त अवधि के भीतर संबंधित अधिकारी को इस निर्णय के कारणों सहित लिखित रूप में सूचित किया जाए।

(2) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति या इसके विस्तार पर, अधिकारियों को, यदि उन्हें स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य माना जाए, नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति में रखा जाएगा और यथास्थिति उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के अनुसार समय रहते पुष्टि की जाएगी।

(3) परिवीक्षा अवधि या उसके विस्तार के दौरान, यदि सरकार कि यह राय है कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, ऐसे में वह अधिकारी को कार्यमुक्त कर सकती है या उसे इस सेवा में नियुक्ति से पहले उसके द्वारा धारित पद पर वापस भेज सकती है, जैसा भी मामला हो।

(4) परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके विस्तार के दौरान परिवीक्षा के संतोषजनक समापन की शर्त के रूप में, जैसा कि सरकार उचित समझे, अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा प्रशिक्षण और निर्देशों के ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग लेने और परीक्षाओं तथा जांचों (जिसमें हिंदी में परीक्षा शामिल है) में उत्तीर्ण होना अपेक्षित हो सकता है।

(5) परिवीक्षा से संबंधित किसी भी अन्य मामलों के संबंध में सेवा के सदस्य सरकार द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित किए जाएंगे।

(6) उन सभी मामलों में जो इसमें विशेष रूप से उपबंधित नहीं किए गए हैं, परिवीक्षाधीन अधिकारी भारतीय रेल संहिताओं के उपबंधों और समय-समय पर संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अन्य आदेशों अथवा अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

9. गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना: (1) गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अनुसूची-II में यथा विनिर्दिष्ट रिक्तियों पर ध्यान दिए बिना, सेवा के अधिकारियों की समयबद्ध प्रोन्नति के लिए तैयार की गई योजना है, ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी तक की प्रोन्नतियों का रिक्तियों से कोई संबंध नहीं होगा।

10. सेवा में नियुक्ति: सेवा में सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी।

11. अधिवर्षिता: (1) सेवा के सदस्यों की अधिवर्षिता की आयु बासठ (62) वर्ष होगी।

(2) यदि सेवा के सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु तक अपनी सेवा जारी रखने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिश्चित अनुसार, किसी नैदानिक पद पर तैनाती का विकल्प चुनना होगा और बासठ वर्ष की आयु के पश्चात्, अधिकारी को अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट पदों के अलावा अन्य पदों पर जोन अथवा उत्पादन इकाइयों में तैनात किया जाएगा।

(3) बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् नैदानिक पद पर तैनाती क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई में सेवा में समग्र स्वीकृत संख्या बनाए रखने और प्रशासनिक सुविधा के भी अध्यधीन होगी।

(4) सेवा के सेवारत सदस्यों को नैदानिक पद पर तैनाती के लिए अपना विकल्प बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से कम से कम छह महीने पहले प्रस्तुत करना होगा और ऐसा विकल्प संबंधित रेल प्रशासन की कार्मिक शाखा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(5) सेवा के वे सेवारत सदस्य जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहते हैं, वे उस माह के अंतिम दिन की दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे जिसमें वे बासठ वर्ष की आयु पूरी करते हैं।

12. बासठ वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् सेवा के सदस्यों द्वारा धारण किए जाने वाले पदों के पदनाम: (1) यदि सेवा के सदस्य 62 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर किसी नैदानिक पद पर तैनाती का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें निम्नानुसार पुनर्पदनामित किया जाएगा:-

क्र.सं.	बासठ वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व धारित वेतनमान	बासठ वर्ष की आयु के पश्चात् पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	शीर्षमान	प्रधान परामर्शी (स्वास्थ्य)
2.	उच्च प्रशासनिक श्रेणी वेतनमान	मुख्य परामर्शी (स्वास्थ्य)
3.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतनमान	ज्येष्ठ परामर्शी (स्वास्थ्य)
4.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतनमान से नीचे	परामर्शी (स्वास्थ्य)

(2) प्रधान परामर्शी (स्वास्थ्य), मुख्य परामर्शी (स्वास्थ्य), ज्येष्ठ परामर्शी (स्वास्थ्य) और परामर्शी (स्वास्थ्य) के ऐसे नैदानिक पद उसी वेतनमान में संचालित होंगे जो पदधारी को बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले मिल रहा था और तब तक जारी रहेगा जब तक कि पदधारी द्वारा अधिवर्षिता या अन्यथा रिक्त नहीं कर दिया जाता।

13. भारत के किसी भी भाग में सेवा के लिए दायित्व: सेवा में नियुक्त कोई भी अधिकारी भारत या भारत से बाहर कहीं भी, भूमि या अपतटीय क्षेत्र में सेवा के लिए दायी होगा।

14. प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिषेध: (1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें परामर्श और प्रयोगशाला अभ्यास भी शामिल है।

(2) तथापि, सेवा में नियुक्त व्यक्ति सभी श्रेणियों अथवा पदों पर सरकार अथवा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर व्यवसाय निषेध भत्ते के हकदार होंगे।

15. अकृत्यिक उन्नयन: (1) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में पात्र अधिकारियों को (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी तक) विभागीय छानबीन समिति की सिफारिश पर अकृत्यिक उन्नयन प्रदान किया जाएगा, जैसा कि अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट है।

(2) जब भी संयुक्त संवर्ग वाले राज्य का कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को केंद्र में किसी ऐसे विशेष श्रेणी में तैनात किया जाता है जिसमें वेतन मैट्रिक्स में एक विशिष्ट स्तर का वेतन लेता है, तो सेवा की उन बैचों के अधिकारी जो उस अधिकारी से दो साल या उससे अधिक ज्येष्ठ हैं और अब तक उस विशेष श्रेणी में प्रोन्नत नहीं हुए हैं, उन्हें केंद्र में उस विशिष्ट श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में तैनाती की तारीख से अकृत्यिक आधार पर वही श्रेणी प्रदान की जाएगी।

(3) अकृत्यिक आधार पर उच्च वेतन मान देने के लिए अन्य निबंधन और शर्तें समय-समय पर सरकार द्वारा इस मामले में जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार होंगी।

16. वेतन, छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का विनियमन: (1) विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों का वेतन, वेतनवृद्धि, छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तें भारतीय रेल स्थापन संहिता जिल्द I और जिल्द II और भारतीय रेल स्थापन नियमावली या सरकार अथवा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी अन्य सुसंगत अनुदेशों के अनुसार विनियमित होंगी।

(2) इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंधित न किए गए विषयों के संबंध में सेवा के सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें, यथावश्यक परिवर्तन सहित तथा सेवा की बाबत सरकार अथवा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी विशिष्ट आदेश के अधीन वही होंगी जो सामान्यतः केन्द्रीय समूह 'क' सेवा के अधिकारियों पर लागू होती हैं।

17. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

18. शिथिल करने की शक्ति: जहां संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

19. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

20. निर्वचन: यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित यदि कोई प्रश्न उठता है तो आयोग के परामर्श से संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसका विनिश्चय किया जाएगा।

.....

अनुसूची - 1

(नियम 2(ज), 2(झ), 2(ढ), 3(2), 4(1), 4(2) और 6(1) देखें)

भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा में शामिल किए गए ड्यूटी पदों की श्रेणियां, पदनाम, स्वीकृत पदों की संख्या और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-

ड्यूटी पद की श्रेणी	पदनाम @		वेतन मैट्रिक्स में स्तर #	पदों की सं. *@
	रेलें	रेलवे बोर्ड		
शीर्ष	लागू नहीं	महानिदेशक (रेल स्वास्थ्य सेवा)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -17 (रू.225000)	1 (संदर्भित टिप्पण 1)

उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक	प्रधान कार्यपालक निदेशक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 (रू.182200-224100)	19 (संदर्भित टिप्पण 1)
ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	i) चिकित्सा निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य विशेषज्ञ, प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य निदेशक	कार्यपालक निदेशक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (रू.144200-218200)	143 (संदर्भित टिप्पण 1)
	ii) अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक, अपर मुख्य स्वास्थ्य निदेशक, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (रू.144200-218200) (गतिशील सुनिश्चित कैरियर योजना)	809
प्रवरण श्रेणी	ज्येष्ठ प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत ज्येष्ठ प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी के पदनाम में उनकी विशेषज्ञता का विषय कोष्ठक में जोड़ा जा सकेगा, उदाहरण के लिए ज्येष्ठ प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी (हृद्य रोग विज्ञान)	निदेशक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (रू. 118500-214100)	
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	ज्येष्ठ प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत ज्येष्ठ प्रभागीय चिकित्सा अधिकारियों के पदनाम में उनकी	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (रू.78800-209200)	

	विशेषज्ञता का विषय कोष्ठक में जोड़ा जा सकेगा, उदाहरण के लिए ज्येष्ठ प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी (हृद्य रोग विज्ञान)			
ज्येष्ठ कालमान	प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत प्रभागीय चिकित्सा अधिकारियों के पदनाम में उनकी विशेषज्ञता का विषय कोष्ठक में जोड़ा जा सकेगा, उदाहरण के लिए प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी (जनरल मेडिसिन)	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (रु.67700-208700)	750
कनिष्ठ कालमान	सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु.56100-177500)	811
	कुल			2533

टिप्पण 1 : जिन सदस्यों ने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नैदानिक पदों पर सेवा देने का विकल्प चुना है, उनके लिए पदों की ऊर्ध्व फ्लोटिंग होगी, जो हालांकि कुल संवर्ग पदों के आधिकतम स्तर के पाँच प्रतिशत तक सीमित होगी। उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी और उच्चतर ग्रेडों में नैदानिक पदों का संचालन संवर्ग की निचले श्रेणी में रिक्तियों के विरुद्ध किया जाएगा और अतिरिक्त पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। मौजूदा योजना के अधीन इन सदस्यों के पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ये पद अपनी नियमित श्रेणी में वापस आ जाएँगे।

*** टिप्पण 2:** कनिष्ठ कालमान, ज्येष्ठ कालमान, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी सहित प्रवरण श्रेणी के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक, अपर मुख्य स्वास्थ्य निदेशक और अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के रूप में पदनामित पद) में पदों की संख्या 2370 पदों की संयुक्त संख्या के भीतर परस्पर विनिमय रूप से संचालित की जा सकती हैं।

@ पदों की संख्या, कार्यभार की निर्भरता की भिन्नता के अध्यधीन हैं।

व्यवसाय निषेध भत्ता - दरें समय-समय पर सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

टिप्पण 3: भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा में 143 ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (स्तर-14) के लिए निर्धारित किए गए पद एक अलग खंड का गठन करते हैं, जो नियमित, गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना आधारित स्तर-14 प्रोन्नति वाले पदों से भिन्न है। ये निर्धारित किए गए पदों को विशिष्ट रेलों/इकाईयों में वितरित किया जाता है और इनके साथ निर्धारित प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। इन पदों को ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना) अधिकारियों द्वारा वरिष्ठता के आधार पर भरा जाता है और इन्हें चिकित्सा निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य विशेषज्ञ, प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, या मुख्य स्वास्थ्य निदेशक के रूप में नामित किया जाता है।

अनुसूची-II

(नियम 2(घ),2(झ),2(ठ),6(2),6(3),6(4),6(5)और 9(1)देखें)

भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न श्रेणियों में शामिल पदों पर प्रोन्नति के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति की विधि, चयन-क्षेत्र और अगले निम्न श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा:

झूटी पद का नाम, श्रेणी और वेतन मैट्रिक्स में स्तर	नियुक्ति की विधि	चयन-क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा।
(1)	(2)	(3)
शीर्ष (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-17 [रु.225000])	प्रोन्नति द्वारा और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी से समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी संकल्पों द्वारा शासित किया जाएगा।	स्तंभ (2)में दिए गए अनुसार
उच्च प्रशासनिक श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15 [रु. 182200-224100])	प्रोन्नति द्वारा और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी से समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी संकल्पों द्वारा शासित किया जाएगा।	स्तंभ (2)में दिए गए अनुसार
ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी * (वेतन मैट्रिक्स में स्तर -14 [रु.144200-218200])	उपयुक्तता के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 13 (रु.118500-214100) में ज्येष्ठ प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी, श्रेणी में सात वर्षों की नियमित सेवा हो।

अकृत्यिक चयन श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 [रु.118500-214100])	उपयुक्तता के अध्यधीन चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 12 (रु.78800-209200) में ज्येष्ठ प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी, श्रेणी में चार वर्षों की नियमित सेवा हो।
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 [रु.78800-209200])	उपयुक्तता के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा नब्बे प्रतिशत।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (रु.67700-208700) में प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी, श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा हो।
	दस प्रतिशत सीधी भर्ती से अन्यथा प्रोन्नति द्वारा। टिप्पण: विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ की आवश्यकताओं के आधार पर सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों को चिह्नित किया जाएगा।	अनुसूची-IV में अर्हता, अनुभव और आयु सीमा आदि यथा उल्लिखित हैं।
ज्येष्ठ कालमान (वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 [रु.67700-208700])	उपयुक्तता के अध्यधीन चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा सत्तर प्रतिशत।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (रु.56100-177500) में सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी, श्रेणी में चार वर्षों की नियमित सेवा हो।
	तीस प्रतिशत सीधी भर्ती से अन्यथा प्रोन्नति द्वारा। टिप्पण: विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ की आवश्यकताओं के आधार पर सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों को चिह्नित किया जाएगा।	अनुसूची-IV में अर्हता, अनुभव और आयु सीमा आदि उल्लिखित हैं।
कनिष्ठ कालमान (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 [रु.56100-177500])	आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा सौ प्रतिशत	अनुसूची-IV में अर्हता, अनुभव और आयु सीमा आदि यथा उल्लिखित हैं।

* टिप्पण 1: 143 निर्धारित ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के पदों को मौजूदा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अधिकारियों में से ज्येष्ठता के आधार पर भरा जाएगा।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठों के प्रोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, वहां उनके ज्येष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके उनके कनिष्ठों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अनुसूची-III

(नियम 2(क), 2(ड), 2(च), 2(छ), 2(ज) और 6(6) देखें)

भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा के समूह 'क' ड्यूटी पदों में प्रोन्नति या पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति और ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए छानबीन समिति जिनमें वेतन मैट्रिक्स में एक विशिष्ट स्तर में वेतन शामिल हैं, जिसके लिए अकृत्यिक उन्नयन लागू है :-

ड्यूटी पद जिसके लिए प्रोन्नति, पुष्टिया अकृत्यिक उन्नयन किया जाना है।	समूह 'क' हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति	विभागीय पुष्टि समिति	विभागीय छानबीन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)
शीर्ष	समय-समय पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी से रेलवे बोर्ड द्वारा जारी संकल्पों द्वारा शासित किया जाएगा	लागू नहीं.	लागू नहीं.
उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	समय-समय पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी से रेलवे बोर्ड द्वारा जारी संकल्पों द्वारा शासित किया जाएगा	लागू नहीं.	लागू नहीं.
वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	1.अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड - अध्यक्ष 2.अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा नामित दो बोर्ड सदस्य - सदस्य	लागू नहीं.	1.अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड - अध्यक्ष 2. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा नामित दो बोर्ड सदस्य - सदस्य
प्रवरण श्रेणी	1.अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी	लागू नहीं.	1.अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड - अध्यक्ष

	अधिकारी, रेलवे बोर्ड - अध्यक्ष 2.अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा नामित दो बोर्ड सदस्य - सदस्य		2. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा नामित दो बोर्ड सदस्य - सदस्य
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	1.अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड - अध्यक्ष 2.अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा नामित दो बोर्ड सदस्य - सदस्य	1.अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड - अध्यक्ष 2.अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा नामित दो बोर्ड सदस्य - सदस्य	1.अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड - अध्यक्ष 2. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा नामित दो बोर्ड सदस्य - सदस्य
ज्येष्ठ कालमान	1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक या प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी - अध्यक्ष 2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी - सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी या उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी स्तर का कोई अन्य विभागाध्यक्ष - सदस्य	1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक या प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी- अध्यक्ष 2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी - सदस्य 3.ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी या उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी स्तर का कोई अन्य विभागाध्यक्ष - सदस्य	1.प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक या प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी- अध्यक्ष 2.प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी - सदस्य 3.ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी या उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी स्तर का कोई अन्य विभागाध्यक्ष - सदस्य
कनिष्ठ कालमान	लागू नहीं.	1.प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक या	लागू नहीं.

		प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी- अध्यक्ष 2.प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी - सदस्य 3.ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी या उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी स्तर का कोई अन्य विभागाध्यक्ष - सदस्य	
--	--	---	--

.....

अनुसूची-IV

(नियम 6(7) तथा अनुसूची II देखें)

भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा में समूह 'क' ड्यूटी पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयु सीमा :-

क्र.सं.	पद का नाम और श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और दूसरी अर्हताएं @
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ज्येष्ठ प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी वेतन में मैट्रिक्स स्तर-12 (रू.78800-209200) विशेषज्ञता/अति-विशेषज्ञता के रूप में कार्यरत ज्येष्ठ प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी का पदनाम, यदि उन्होंने स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त कर ली है, तो अपनी विशेषज्ञता का क्षेत्र कोष्टक में	पैंतालिस वर्ष से अधिक न हो #	अनिवार्य : सभी विषयों के लिए : (i) आयुर्विज्ञान तथा शल्य-चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस) में उपाधि जो कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो; (ii) डाक्टरेट की उपाधि के पश्चात अति-विशेषज्ञता, अर्थात् डीएम/एमसीएच/डीएनबी (अति-

	जोड़ सकते हैं, उदाहरण के लिए, ज्येष्ठ प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी (ज्येष्ठ हृद्य रोग विशेषज्ञ)।		विशेषज्ञता), जो कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 के 30) के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो; (iii) डाक्टरेट की उपाधि के पश्चात् अर्थात् डीएम/एमसीएच/डीएनबी(अति-विशेषज्ञता) प्राप्त करने के बाद एक वर्ष का कार्य अनुभव।
2	प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी वेतन में मैट्रिक्स स्तर - 11(रू.67700-208700) विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी का पदनाम, यदि उन्होंने स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त कर ली है, तो अपनी विशेषज्ञता का क्षेत्र कोष्टक में जोड़ सकते हैं, उदाहरण के लिए, प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी (काय चिकित्सक), प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी (हृद्य रोग), प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी (शल्य चिकित्सक)	चालीस वर्ष से अधिक न हो #	अनिवार्य : (i) आयुर्विज्ञान तथा शल्य-चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस) में उपाधि जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो; (ii) विशेषज्ञता से संबंधित स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा जो कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) द्वारा मान्यता प्राप्त हो। (iii) स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में दो वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद चार वर्ष का अनुभव।
3	सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी वेतन में मैट्रिक्स स्तर-10 (रू.56100-177500)	पैंतीस वर्ष से अधिक न हो #	अनिवार्य : (i) आयुर्विज्ञान तथा शल्य-चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस) में उपाधि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो; (ii) अनिवार्य चक्रानुक्रमी अंतःशिक्षता की पूर्णता - ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने चक्रानुक्रमी अंतःशिक्षता पूरी नहीं की हो, वे लिखित परीक्षा देने के लिए पात्र होंगे, परंतु यदि चयनित होते हैं, तो उन्हें नियुक्ति से पहले अनिवार्य शिक्षता संतोषजनक रूप से पूरी करनी होगी।

टिप्पण1: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कुछ वर्गों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित छूट देने योग्य है।

टिप्पण 2: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जैसी आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

टिप्पण 3: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा पांच वर्षों तक की छूट दी जा सकती है।

@ टिप्पण 4: अर्हताएं आयोग के विवेकाधिकार पर छूट दी जा सकती है यदि उम्मीदवार अन्यथा सुयोग्य हों।

टिप्पण 5: अनुभव से संबंधित अर्हता अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में आयोग के विवेकाधिकार पर छूट योग्य हैं, यदि चयन के किसी भी चरण में आयोग की यह राय है कि इन समुदायों के उन उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या जिनके पास अपेक्षित अनुभव है, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

अनुसूची V

(नियम 2(क) और 11(1) और 11(2) देखें)

भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा में प्रशासनिक पदों की सूची ("जिन्हें बासठ वर्ष की आयु के बाद सेवा के सदस्यों द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता"):-

क्रम सं.	प्रशासनिक पद
(1)	(2)
1.	रेलवे बोर्ड कार्यालय में कार्यरत सभी सदस्य।
2.	क्षेत्रीय रेल मुख्यालयों के कार्यालय में कार्यरत सभी सदस्य
3.	क्षेत्रीय रेलों के विभिन्न केन्द्रीय अस्पतालों और उत्पादन इकाइयों के अस्पतालों के चिकित्सा निदेशक।
4.	प्रभागीय अस्पतालों में कार्यरत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

[फा. सं. 2007/ई(जी)आरआर/2/1/पार्ट.1]

पल्लवी गोस्वामी, निदेशक स्थापना (राजपत्रित संवर्ग)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2026

G.S.R. 784(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Railway Medical Service Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Indian Railway Health Service Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Administrative post" means any post as specified by the Cadre Controlling Authority from time to time as

specified in Schedule V;

(b) “Cadre Controlling Authority” means the Ministry of Railways, Government of India;

(c) “clinical post” means a post other than the Administrative Posts defined as specified in Schedule V.

(d) “Commission” means the Union Public Service Commission;

(e) “Departmental Confirmation Committee” means a committee constituted to consider confirmation in any grade;

(f) “Departmental Promotion Committee” means a committee constituted to consider promotion, in any grade;

(g) “Departmental Screening Committee” means a committee constituted to consider the grant of Non-Functional Upgradation;

(h) “duty post” means any post included in Schedule I to these rules;

(i) “examination” means the Combined Medical Services Examination conducted by the Commission;

(j) “Government” means the Government of India;

(k) “grade” means grades of duty posts specified in Schedule I to these rules;

(l) “regular service” in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection and regular basis under the rules and includes any period or periods—

(i) taken into account for the purpose of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the service;

(ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post;

(m) “Schedule” means the Schedules appended to these rules;

(n) “service” means the Indian Railway Health Service constituted under rule 3.

3. Constitution of the Service. – (1) The service shall consist of posts specified in Schedule I.

(2) All the duty posts in the service, as specified in the aforesaid Schedule shall be classified as Group ‘A’ posts.

4. Grades, strength and its review. – (1) The duty posts included in the various grades, designations, numbers and level in the pay matrix shall be as specified in Schedule I.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Government may by notification in Official Gazette,—

(a) make additions, alterations, substitutions or modifications to the number of duty posts or grades, designations and alter or modify the level in pay matrix as specified in Schedule I;

(b) in consultation with the Commission, include in the service any duty post or exclude from the service any duty post specified in Schedule I;

(c) in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post included in the service under clause (b) to the appropriate grade.

5. Member of the service. –All officers appointed to the service before the commencement of these rules and holding duty posts on regular basis in Junior Time Scale, Senior Time Scale, Junior Administrative Grade, Non-Functional Selection Grade, Senior Administrative Grade and Higher Administrative Grade of the Indian Railway Health Service as on the date of commencement of these rules shall be members of the service in the respective grades.

6. Future maintenance of service. – (1) The vacant post in any of the grades referred to in the Schedule I shall be filled in the manner provided under these rules.

(2) The method of recruitment, the field of selection for promotion including the minimum qualifying service in the immediate lower grade or lower grades, as the case may be, for appointment or promotion to the post in the respective grade and specialties concerned, included in the service shall be as specified in Schedule II.

(3) Hundred per cent. of the vacant duty posts in the grade of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment through Combined Medical Service Examination conducted by the Commission, as specified in Schedule II.

(4) Thirty per cent of duty posts in the grade of Senior Time Scale shall be filled by direct recruitment, as specified in Schedule II, in consultation with the commission.

(5) Ten per cent. of duty posts in the grade of Junior Administrative shall be filled by direct recruitment, as specified in Schedule II, in consultation with the Commission.

(6) The departmental promotions of duty post up to the grade of Senior Administrative Grade shall be made as specified in Schedule II without taking into account the vacancies and shall be made on the basis of selection from among the officers of the service on the recommendations of the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule III.

(7) The educational and other qualifications, experience and age-limit for appointment to various duty posts in the service by direct recruitment shall be as specified in Schedule IV.

Note. – The number of posts in Junior Time Scale, Senior Time Scale, Junior Administrative Grade, Selection Grade and Senior Administrative Grade may be operated interchangeably within the combined strength of the posts as specified in Note 2 to Schedule I.

7. Seniority. – (1) The relative seniority of members of the service appointed to any grade shall be governed by their relative seniority in their respective grade, as determined before the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the commencement of these rules, it shall be determined by the Cadre Controlling Authority in accordance with the rules applicable to members of the similar services under the Government.

(2) The cases that are not covered under sub-rule (1) above, seniority shall be determined by the Government in accordance with the general instructions issued by the Government for the purpose, from time to time.

8. Probation and confirmation. –(1) Every officer appointed to the service in the grade of Junior Time Scale by direct recruitment shall be on probation for a period of two years and every officer appointed to the Senior Time Scale Grade and Junior Administrative Grade by direct recruitment shall be on probation for a period of one year:

Provided that the Cadre Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf:

Provided further that any decision for extension of probation period shall be taken immediately after the expiry of initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communication in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their regular appointments on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancies.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, it may discharge or revert the officer, as the case may be, to the post held by him prior to his appointment in the service.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examination, and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) In any other matters relating to probation, the members of the service shall be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

(6) In all matters not specifically provided for herein, the probationers shall be governed by the provisions of the Indian Railway Codes and other orders or instructions in force issued by the Cadre Controlling Authority from time to time.

9. Dynamic assured career progression scheme. – (1) The dynamic assured career progression scheme is the scheme formulated by Cadre Controlling Authority for time bound promotion of the officers of the service without taking into account the vacancies as specified in Schedule II, on such terms and conditions as may be specified by the Government from time to time.

(2) The promotions upto Senior Administrative Grade shall be without linkage to vacancies.

10. Appointment in the service. – All appointments to the service shall be made by the Government.

11. Superannuation. – (1) The age of superannuation of the members of the service shall be sixty-two years.

(2) If the members of the service desire to continue in their service upto the age of sixty-five years they need to exercise the option of posting to a clinical post depending upon their expertise and experience, as decided by the Cadre Controlling Authority and after the age of sixty-two years, the Officer shall be posted in the zones or production units in posts other than those specified in Schedule V.

(3) The posting to clinical post after attaining the age of sixty-two years will be subject to maintaining the overall sanctioned strength in the service in the Zonal Railway or Production Unit and also administrative convenience.

(4) The serving members of the service shall submit their option for posting to a clinical post not less than six months before their attaining the age of sixty-two years and such option shall be furnished through the personnel branch of the respective railway administration.

(5) The serving members of the service who fail to exercise the option within the period specified above, shall stand superannuated from service on the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of sixty-two years.

12. Designations of posts to be held by members of the service after attaining the age of sixty-two years. – (1) In case members of the service exercise the option of posting to a clinical post depending upon their expertise and experience before attaining the age of sixty-two years, they will be re-designated as under: -

Sl. No.	Scale held before attaining the age of sixty-two years.	Designation after the age of sixty-two years.
(1)	(2)	(3)
1.	Apex Scale	Principal Consultant (Health).
2.	Higher Administrative Grade Scale	Chief Consultant (Health).
3.	Senior Administrative Grade Scale	Senior Consultant (Health).
4.	Below Senior Administrative Grade	Consultant (Health).

(2) The clinical posts of Principal Consultant (Health), Chief Consultant (Health), Senior Consultant (Health) and Consultant (Health) shall operate in the same scale, the incumbent was getting before attaining the age of sixty-two years and shall continue till the same is vacated by the incumbent on superannuation or otherwise.

13. Liability for service in any part of India. –The officer appointed to the service shall be liable to serve anywhere in India or outside, on land or offshore.

14. Prohibition of private practice. –(1) The persons appointed to the service shall not be allowed private practice of any kind whatsoever including any consultation and laboratory practice.

(2) The persons appointed to the service shall be entitled to a non-practicing allowance in all grades or posts at the rates specified by Government or Cadre Controlling Authority from time to time.

15. Non-Functional upgradation. – (1) The Non-Functional upgradation shall be granted to the eligible officers in various grades (upto Higher Administrative Grade) of the service on the recommendations of the Departmental Screening Committee, as specified in Schedule III.

(2) Whenever any Indian Administrative Service Officer of the State of Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying pay in a specific level in the pay matrix, the officer belonging to batches of the service who are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade, shall be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service Officers in that particular grade at the Centre.

(3) The other terms and conditions for grant of higher pay scale on Non-Functional basis shall be as per orders and instructions issued in the matter by the Government from time to time.

16. Regulation of pay, leave, pension and other conditions of service. – (1) The pay, increments, leave, pension and other conditions of service of officers of the various grades shall be regulated in accordance with the Indian Railway Establishment Code Vol. I and Vol. II and Indian Railway Establishment Manual or other relevant instructions issued by the Government or Cadre Controlling Authority.

(2) The other conditions of service of the members of the service, in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall, *mutatis mutandis* and subject to any special orders issued by the Government or Cadre Controlling Authority in respect of the service, be the same as those applicable to officers of the Central Group 'A' Service in general.

17. Disqualification. –No person, –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living has entered into or contracted marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Cadre Controlling Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

18. Power to relax. –Where the Cadre Controlling Authority is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

19. Saving. –Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, economically weaker sections, persons with disabilities, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

20. Interpretation. –If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Cadre Controlling Authority in consultation with the Commission.

SCHEDULE I

(See rules 2(h), 2(i), 2(n), 3(2), 4(1), 4(2) and 6(1))

The grades, designations, number of sanctioned posts and level in the pay matrix of duty posts included in the Indian Railway Health Service: –

Grades of duty post.	Designation		LEVEL IN THE PAY MATRIX #	NO. OF POSTS* @
	Railways	Railway Board		
Apex.	Not applicable.	Director General (Railway Health Service).	Level-17 in the pay matrix (₹ 225000)	1 (Refer Note 1)
Higher Administrative Grade.	Principal Chief Medical Director	Principal Executive Director.	Level-15 in the pay matrix (₹182200-224100)	19 (Refer Note 1)
Senior Administrative Grade.	(i) Medical Director, Chief Medical Superintendent, Chief Specialist, Principal Chief Medical Officer, Chief Health Director.	Executive Director.	Level-14 in the pay matrix (₹144200-218200)	143 (Refer Note 1)

	(ii)Additional Chief Medical Director, Additional Chief Health Director, Additional Chief Medical Superintendent.	Not applicable.	Level-14 in the pay matrix (₹144200-218200) (Dynamic Assured Career Progression Scheme)	809
Non-Functional Selection Grade.	Senior Divisional Medical Officer Designation of the Senior Divisional Medical Officer working as specialists may append the discipline of their specialty within parenthesis e.g. Sr.DMO (Cardiology).	Director.	Level-13 in the pay matrix (₹118500-214100)	
Junior Administrative Grade.	Senior Divisional Medical Officer Designation of the Senior Divisional Medical Officer working as specialists may append the discipline of their speciality within parenthesis e.g. Sr.DMO (Cardiology).	Not applicable.	Level-12 in the pay matrix (₹78800-209200)	
Senior Time Scale.	Divisional Medical Officer Designation of the Divisional Medical Officers working as specialists may append the discipline of their speciality within parenthesis e.g. DMO (General Medicine).	Not applicable.	Level-11 in the pay matrix (₹ 67700-208700)	750
Junior Time Scale.	Assistant Divisional Medical Officer.	Not applicable.	Level-10 in the pay matrix (₹ 56100-177500)	811
	Total			2533

Note 1: For members who have opted to serve on clinical posts after attaining the age of sixty-two years, there shall be vertical floating of posts which however shall be limited up to the maximum level of five per cent. of the total cadre posts. Operation of the clinical posts in Higher Administrative Grade and higher grades is to be effected against the vacancies in the lower grade of the cadre and there will be no creation of any additional posts. The posts shall revert to their regular grade once these members under the existing scheme attain the age of sixty-five years.

***Note 2:** The number of posts in Junior Time Scale, Senior Time Scale, Junior Administrative Grade including Selection Grade of Junior Administrative Grade and Senior Administrative Grade (posts designated as Additional Chief Medical Director, Additional Chief Health Director and Additional Chief Medical Superintendent) may be operated interchangeably within the combined strength of 2370 posts.

@The number of posts is further subject to variation dependent on workload.

#Non-Practicing Allowance – Rates will be as specified by Government from time to time.

Note 3:The 143 Senior Administrative Grade (Level-14) pinpointed posts constitutes a distinct segment within the Indian Railway Health Service, separate from the regular, Dynamic Assured Career Progression Scheme based level-14 promotion posts. These pinpointed posts are distributed across specific Railways/Units and carry defined administrative and financial responsibilities. They are filled by the senior-most Senior Administrative Grade (Dynamic Assured Career Progression Scheme) officers on the basis of seniority and are designated as Medical Director, Chief Medical Superintendent, Chief Specialist, Principal Chief Medical Officer, or Chief Health Director.

SCHEDULE II

(See rules 2(d), 2(i), 2(l), 6(2), 6(3), 6(4), 6(5) and 9(1))

Method of appointment, field of selection and the minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to posts included in the various grades of the Indian Railway Health Service:

Name of the duty post, grade and level in the pay matrix	Method of appointment	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion.
(1)	(2)	(3)
Apex (Level-17 in the pay matrix [₹225000]).	By promotion and shall be governed by Railway Board's Resolutions issued from time to time with the approval of Appointment Committee of the Cabinet.	Same as given in column (2).
Higher Administrative Grade (Level-15 in the pay matrix [₹182200-224100]).	By promotion and shall be governed by Railway Board's Resolutions issued from time to time with the approval of Appointment Committee of the Cabinet.	Same as given in column (2).
Senior Administrative Grade * (Level -14 in the pay matrix [₹144200-218200]).	By promotion on the basis of selection subject to suitability.	Senior Divisional Medical Officer in level-13 in the pay matrix (Rs.118500-214100) with seven years' regular service in the grade.
Non-Functional Selection Grade (Level-13 in the pay matrix [₹118500-214100]).	By promotion on the basis of seniority subject to suitability.	Senior Divisional Medical Officer in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) with four years' regular service in the grade.

Junior Administrative Grade (Level-12 in the pay matrix [₹ 78800-209200]).	Ninety per cent. by promotion on the basis of selection subject to suitability.	Divisional Medical Officers in level- 11 in the pay matrix (₹ 67700-208700) with five years' regular service in the grade.
	Ten per cent. by direct recruitment, failing which by promotion. Note: Vacancies for direct recruitment shall be identified based on the needs of specialist in various disciplines.	The qualifications, experience and age-limit etc., are as mentioned in Schedule IV.
Senior Time Scale (Level-11 in the pay matrix [₹67700-208700]).	Seventy per cent. by promotion on the basis of selection subject to suitability.	Assistant Divisional Medical Officers in level-10 in the pay matrix (₹56100-177500) with four years' regular service in the grade.
	Thirty per cent. by direct recruitment, failing which by promotion. Note: Vacancies for direct recruitment shall be identified as based on the needs of specialist in various disciplines.	Qualifications, experience and age- limit etc., are as mentioned in Schedule IV.
Junior Time Scale (Level -10 in the pay matrix [₹56100-177500]).	Hundred per cent. by direct recruitment through Combined Medical Services Examination conducted by the Commission.	Qualifications, experience and age- limit, etc., are as mentioned in Schedule IV.

***Note 1:** 143 pinpointed Senior Administrative Grade posts shall be filled on the basis of seniority from amongst existing Senior Administrative Grade officers.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

SCHEDULE III*(See rules 2(a), 2(e), 2(f), 2(g), 2(h) and 6(6))*

Departmental Promotion Committee for considering the cases of promotion or confirmation in Group 'A' duty posts of Indian Railway Health Service and Screening Committee for considering the cases carrying pay in a specific level in the pay matrix for which Non-Functional Up-gradation is applicable: -

Duty post for which promotion, confirmation or Non-Functional Upgradation is to be made.	Group 'A' Departmental Promotion Committee.	Departmental Confirmation Committee.	Departmental Screening Committee.
(1)	(2)	(3)	(4)
Apex.	Shall be governed by Railway Board's Resolutions issued from time to time with the approval of Appointment Committee of the Cabinet.	Not applicable.	Not applicable.
Higher Administrative Grade.	Shall be governed by Railway Board's Resolutions issued from time to time with the approval of Appointment Committee of the Cabinet.	Not applicable.	Not applicable.
Senior Administrative Grade.	1. Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board- Chairman ; 2. Two Board Members to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board-Member	Not applicable.	1. Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board- Chairman; 2. Two Board Members to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board-Member.
Non-Functional Selection Grade.	1. Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board-Chairman; 2. Two Board Members to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board-Member.	Not applicable.	1. Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board-Chairman; 2. Two Board Members to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board-Member.
Junior Administrative Grade.	1. Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board-Chairman; 2. Two Board Members to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board-Member.	1. Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board-Chairman; 2. Two Board Members to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board-Member.	1. Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board-Chairman; 2. Two Board Members to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board-Member.

Senior Time Scale	1. Principal Chief Medical Director or Principal Chief Medical Officer-Chairman; 2. Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer-Member; 3. Any other Head of the Department in Senior Administrative Grade or Higher Administrative Grade level-Member.	1. Principal Chief Medical Director or Principal Chief Medical Officer- Chairman; 2. Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer- Member; 3. Any other Head of the Department in Senior Administrative Grade or Higher Administrative Grade level- Member.	1. Principal Chief Medical Director or Principal Chief Medical Officer- Chairman; 2. Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer-Member; 3. Any other Head of the Department in Senior Administrative Grade or Higher Administrative Grade level- Member.
Junior Time Scale	Not applicable.	1. Principal Chief Medical Director or Principal Chief Medical Officer- Chairman; 2. Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel-Member; 3. Any other Head of the Department in Senior Administrative Grade or Higher Administrative Grade level- Member.	Not applicable.

SCHEDULE IV

(See rule 6(7) and Schedule II)

Minimum educational and other qualifications, experience and age limit for direct recruitment to Group 'A' duty posts in Indian Railway Health Service: –

Sr. No.	Name and grade of post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.®
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Senior Divisional Medical Officer Level-12 in the pay matrix (₹78800-209200). Designation of the Senior Divisional Medical Officer working in the speciality/ super-speciality may append the discipline of their speciality within parenthesis if possess Post Graduate qualification e.g. Sr.DMO (Senior Cardiologist).	Not exceeding forty-five years. #	Essential: For all disciplines: (i) Degree in Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) recognised by the National Medical Commission as per the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019); (ii) Post Doctoral degree in the super speciality i.e., DM/MCH/DNB (Super Speciality) recognised by the National Medical Commission as per National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019); (iii) one year working experience after obtaining Post- Doctoral degree i.e., DM/MCH/DNB (Super Speciality).

2.	Divisional Medical Officer Level -11 in the pay matrix (₹ 67700-208700). Designation of the Divisional Medical Officers working in the speciality may append the discipline of their speciality within parenthesis if possess Post Graduate qualification e.g. DMO (Physician), DMO (Cardiology), DMO(Surgeon).	Not exceeding forty years. #	Essential: (i) Degree in Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) recognised by the National Medical Commission as per the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019); (ii) Post Graduate Degree or Diploma in the concerned speciality recognised by National Medical Commission as per the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019); (iii) two years' experience in the concerned speciality after obtaining the Post Graduate Degree or four years' experience after obtaining Post Graduate Diploma.
3.	Assistant Divisional Medical Officer Level-10 in the pay matrix (₹ 56100-177500).	Not exceeding thirty-five years. #	Essential: (i) Degree in Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) recognised by the National Medical Commission as per the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019); (ii) Completion of Compulsory Rotating Internship-Candidates who may not have completed rotating internships shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory Internship before appointment.

Note1: Relaxable for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes and certain other categories as notified by the Government from time to time.

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Commission.

Note 3: The age-limit is relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India.

@**Note 4:** The qualification is relaxable at the discretion of the Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 5: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

SCHEDULE V

(See rules 2(a), 11(1) and 11(2))

List of Administrative posts (which cannot be operated by the members of the service after the age of sixty-two years) in Indian Railway Health Service: –

Sl. No.	Administrative posts.
(1)	(2)
1.	All members working in Railway Board office.
2.	All members working in railway zonal headquarters office.

3.	Medical Directors of various central hospitals of zonal railways and hospitals of production units.
4.	Chief Medical Superintendents working in divisional hospitals.

[F. No. 2007/E(G)RR/2/1/Pt.1]

PALLAVI GOSWAMI, Director, Establishment (Gazetted Cadre)